Annexure-A

प्रशिक्षण मॉड्यूल

सहकारिता विभाग के प्रत्येक वृत में सहकारी लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध करने के लिये योजना।

सहकारिता विभाग राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये स्व–रोजगार के तहत सहकारी सभाओ के लेखा परीक्षण कार्य हेतु 250, प्रमाणित लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध करने के लिये परिकल्पना के अंर्तगत हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ द्वारा सहकारी प्रबन्ध केन्द्र गरली, जिला कांगड़ा व सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा, जिला शिमला मे एक विशेष डिप्लोमा कोर्स का आयोजन करने जा रहा है यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश के प्रत्येक सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें वृत्त के लिये प्रस्तावित है। योजना के सफल कार्यान्वयन में लेखा परीक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण हेतु निम्न शर्तें व नियम निर्धारित हैं :–

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यतायें:–

1 व्यक्ति के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत् अकों के साथ वाणिज्य स्नातक या वाणिज्य स्नातकोत्तर या चार्टर्ड एकाउंटेंट या व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर (वित्त) (MBA-Finance) में उपाधि होनी चाहिए।

2 सूचीबद्धता हेतु व्यक्ति की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु का निर्धारण विज्ञापन प्रकाशित होने वाले वर्ष की पहली जनवरी को किया जायेगा। जैसे ही व्यक्ति 62 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, उसके अगले महीने की प्रथम तिथि को उसका नाम स्वतः ही प्रमाणित लेखा परीक्षकों की सूची से हट जायेगा।

3 व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए और सामान्यतः संबंधित सहायक पंजीयक के क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र में रह रहा होना चाहिए, जहां वह प्रमाणित लेखा परीक्षक के रूप में सूचीबद्धता के लिये आवेदन कर रहा है।

4 व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र के रिति–रिवाज़ों शिष्टाचार और भाषा/बोलियों का ज्ञान होना चाहिए।

5 व्यक्ति को HIMCOFED द्वारा मशोबरा, जिला शिमला और गरली, जिला कांगड़ा में किये जाने वाले विशेष प्रशिक्षण को प्राप्त करना होगा, जिसमें एक महीने का फील्ड प्रशिक्षण भी शामिल है।

वृत्तावार सूची

प्रमाणित लेखा परीक्षकों को सूचीबद्ध करने की अनुमानित संख्या वृत्तावार निम्नलिखित हैः–

Sr. No.	Name of the Circle	Tentative Number of CA to be empanelled
1.	Shimla	15
2.	Solan	20
3.	Sirmaur	05
4.	Palampur	20
5.	Hamirpur	18 + 7 (including 7 CAs already in position)
6.	Dharamshala	30
7.	Chamba	12
8.	Mandi	15
9.	Una	30
10.	Nurpur	15
11.	Dehra	25
12.	Bilaspur	16
13.	Kullu	08
14.	Jubbal	06
15.	Kinnaur	04
16.	Lahaul Spiti	04
	Total	**250**

नोटः आवेदक केवल एक ज़िले के लिए ही आवेदन कर सकता है।

प्रवेश क्षमता :–

चयन समिति द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेजों की वृत्तावार जांच व छंटनी प्रक्रिया के पश्चात् 250, लेखा परीक्षक प्रशिक्षणार्थियो को सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें 50–50 के पांच बैच में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा जिसकी सूची सहकारी प्रबन्ध केन्द्रों को प्रेषित की जाएगी। प्रशिक्षण स़त्र का निर्धारण निम्न प्रकार से है**:–**

क्र० सं०	प्रवेश तिथि	अध्ययन प्रशिक्षण तिथि	व्यवहारिक फील्ड प्रशिक्षण	परीक्षा तिथि
पहला सत्र : सहकारी प्रबन्ध केन्द्र गरली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)				
1.	15 नवम्बर, 2019 से 20 नवम्बर, 2019	21 नवम्बर, 2019 से 21 दिसम्बर 2019 तक	23 दिसम्बर, 2019 से 23 जनवरी, 2020 तक	01 फरवरी, 2020 से 10 फरवरी, 2020 तक
दूसरा सत्र : सहकारी प्रबन्ध केन्द्र गरली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)				
2.	23 दिसम्बर, 2019 से 28 दिसम्बर, 2020 तक	30 दिसम्बर, 2019 से 30 जनवरी, 2020 तक	31 जनवरी, 2020 से 03 मार्च, 2020 तक	18 मार्च, 2020 से 27 मार्च, 2020 तक
तीसरा सत्र : सहकारी प्रबन्ध केन्द्र गरली, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)				
3.	05 फरवरी, 2020 से 11 फरवरी, 2020 तक	12 फरवरी, 2020 से 13 मार्च, 2020 तक	16 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 तक	16 अप्रैल, 2020 से 25 अप्रैल, 2020 तक
चौथा सत्र : सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा, जिला षिमला (हि०प्र०)				
4.	24 अप्रैल, 2020 से 29 अप्रैल, 2020 तक	30 अप्रैल, 2020 से 30 मई , 2020 तक	01 जून, 2020 से 01 जुलाई, 2020 तक	08 जुलाई, 2020 से 18 जुलाई, 2020 तक
पाचवां सत्र : सहकारी प्रबन्ध केन्द्र मशोबरा, जिला शिमला (हि०प्र०)				
5.	01 जून, 2020 से 05 जून, 2020 तक	06 जून, 2020 से 06 जुलाई, 2020	08 जुलाई, 2020 से 07 अगस्त, 2020	09 अगस्त, 2020 से 18 अगस्त, 2020

विशेष परिस्थितियों में प्रशिक्षण सत्र में परिवर्तन करने का अधिकार हिमकोफैड को होगा।

अवधि :—

पाठ्यचर्या की कुल अवधि 2 मास की होगी। जिसमें अध्यापन प्रशिक्षण एक माह व एक माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा। अध्यापन प्रशिक्षण अवधि के एक माह बीत जाने के बाद इन प्रशिक्षणार्थियो को विभागीय अंकेक्षकों के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया जायेगा। इस दौरान प्रशिक्षणार्थीयों को विभागीय अंकेक्षकों के मार्गदर्शन में कम से कम दो सहकारी सभाओं का लेखा परीक्षण/अंकेक्षण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षणार्थी लेखा परीक्षकों को उन द्वारा अंकेक्षित सहकारी सभाओं का प्रमाण पत्र विभागीय अंकेक्षकों से प्राप्त करना होगा। कुल प्रशिक्षण अवधि के अन्त में इन प्रशिक्षणार्थी लेखा परीक्षकों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी तथा Viva-voce, पंजीयक, सहकारी सभायें हिमाचल प्रदेश के द्वारा या उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। Viva-voce के कुल 50 अंक होंगे। लिखित व मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी लेखा परीक्षकों को प्रमाणित अंकेक्षक का प्रमाण पत्र सहकारी प्रबन्ध केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा

विषय सूची :–

इन प्रशिक्षणार्थी लेखा परीक्षकों को निम्न विषयों का अध्ययन करवाया जायेगाः–

1 सहकारी विधान व अन्य विधान।

2 सहकारी लेखाकंन व अंकेक्षण।

3 सहकारी प्रबन्ध व नियोजित विकास।

4 सहकारी इतिहास।

5 कम्पयूटर।

1 से 4 क्रम के विषय की लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी तथा 5वें क्रम के विषय की लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी।

प्रशिक्षणार्थी लेखा परीक्षकों को प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिये 40% अंक प्राप्त करने होंगे।

कोर्स शुल्क : मु० 5,000/– रूपये पूर्ण अवधि के लिए प्रवेश के समय जमा करने अनिवार्य है इसके अतिरिक्त जो प्रशिक्षणार्थी छात्रावास की सुविधा लेंगे उन्हें छात्रावास के रख रखाव व सफाई हेतु मु० 1,000/–रूपये जमा करने होंगे।

छात्रावास में केवल 30 प्रशिक्षणार्थियों की ठहरने की सुविधा है। इसलिये ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर छात्रावास का आबंटन किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के लिये निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्रशिक्षण के दौरान केन्द्र के भोजनालय में भोजन सम्बन्धी तथा एक मास की व्यवहारिक अवधि के मध्य भोजन व ठहराव सम्बन्धी व्यय स्वयं वहन करने होंगे।

नोटः–

1. इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र सभी शैक्षणिक योग्यताओं की सत्यापित छाया प्रतियाँ तथा अपनी पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ सहित् निर्धारित आवेदन पत्र पर **सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ सीमित, सहकार भवन, निकट डोगरा लॉज, शिमला–171004** को दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक भेजें। प्रार्थना पत्र के साथ मु० 200/– रूपए (दो सौ रूपए) का बैंक ड्राफ्ट **सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ सीमित, शिमला–171004** के नाम भेजें। बिना शुल्क के प्रार्थना पत्र मान्य नहीं होगा।
2. प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2019 निर्धारित है। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन मान्य नहीं होंगे।
3. पाठ्यचर्या आरम्भ होने की तिथि के बारे में अभ्यार्थियों को डाक तथा दूरभाष द्वारा सूचित किया जायेगा।

THE HIMACHAL PRADESH STATE COOPERATIVE DEVELOPMENT FEDERATION, SHIMLA-171004

Paste here your stamp size recent photograph

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. *Please read complete instructions given in advertisement carefully before filling in each column.*
2. *Use only Black/Blue Ball Pen to fill the Form*
3. *A passport size photograph duly attested.*

APPLICATION FORM

1. Candidate's Name :________________________ _________________________

[in capital letters as given in Class 10th Certificate (in English)]

2. Father's/Husband's Name :____

[in capital letters as given in Class 10th Certificate (in English)]

3. Date of Birth : Date [|] Month [|] Year [|]

4. Permanent Address : ____

____

____

5. Correspondence Address : ____

____

____

6. Mobile No.__________________E-mail address__________________________

7. Educational Qualifications:

Educational Qualifications	**Year of passing**	**Marks obtained**	**Total Marks**	**% age**	**Division**	**Name of Board/University**	**Subject**
Matric							
10+2							
B.Com.							
M.Com.							
MBA Fin./C.A.							

8. Name of the District for which option for empanelment exercised : (______________________)

9. Details of Fees :

Demand Draft No. :_____________________Date_____________

Issued by :___________________________________

Payable at :__________________________________

Place :____________

Date:_____________

SIGNATURE OF THE CANDIDATE

(Unsigned application will be rejected)

Application should be accompanied by the attested copies of the certificates etc.

Incomplete applications form will be rejected.